मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय

क्रमांक/375 /पं.रा./2018/ भोपाल, दिनांक 08 /08/2018

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
   मध्यप्रदेश।
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश।

विषय :- संबल योजना अन्तर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को श्रम विभाग द्वारा दी जाने वाली राशि की प्रक्रिया बाबत्।

संदर्भ :- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्रमांक/पं.रा./2018/368 दिनांक 03.08.2018।

--00--

संदर्भित पत्र के अनुक्रम में संबल योजना अन्तर्गत श्रम विभाग द्वारा राशि जनपद/ग्राम पंचायत को निम्नलिखित प्रक्रिया के अध्यायधीन जारी की जावेगी:-

(क) **"अनुग्रह सहायता योजना"**

1. श्रम विभाग द्वारा इस योजना की राशि प्रत्येक माह की 7 तथा 21 तारीख को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पंच-परमेश्वर पोर्टल पर जनपद पंचायतों के संधारित एकल खाते में ही जारी की जावेगी। किसी भी पूरक अथवा अन्य खाते में इस राशि को जमा करना वर्जित रहेगा।
2. इस राशि को जनपद पंचायतों द्वारा स्कीम कोड "बी 178" में दर्ज किया जायेगा।
3. अनुग्रह सहायता राशि के हितग्राही को ऑनलाईन भुगतान किये जाने की प्रक्रिया अपनाई जाने पर जनपद पंचायत के उक्त एकल खाते की स्कीम कोड "बी 178 से" ई.पी.ओ. के माध्यम से संबंधित हितग्राही के खाते में सीधे भुगतान किया जायेगा।
4. अनुग्रह सहायता योजना अन्तर्गत यदि राशि को चेक से हितग्राही को देने का निर्णय लिया जाता है तो केवल उक्त स्थिति में जनपद पंचायतों द्वारा प्रत्येक हितग्राही के नाम से पृथक-पृथक ई.पी.ओ. बनाया जाकर राशि स्कीम कोड "बी 178" से जनपद पंचायत के पूरक खाते में अंतरित की जायेगी एवं तत्पश्चात पूरक खाते से चेक के द्वारा संबंधित हितग्राही को भुगतान किया जायेगा।

निरंतर.........

(ख) "अन्त्येष्टि सहायता योजना"

1. श्रम विभाग द्वारा इस योजना के अन्तर्गत राशि के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पंच-परमेश्वर पोर्टल पर संधारित ग्राम पंचायत के एकल खाते में ही जारी की जावेगी, किसी अन्य खाते में नहीं।
2. ग्राम पंचायत राशि की प्राप्ति को "मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना- अन्त्येष्टि सहायता" मद अंतर्गत दर्ज कर लॉक करेगी।
3. ग्राम पंचायत अपने लॉगिन पर पंचायत सचिव को वैंडर के रूप में दर्ज करेगी।
4. पंचायत सचिव अन्त्येष्टि योजना के क्रियान्वयन के लिये रूपये 10,000/- की अग्रिम राशि का आहरण अपने बैक खाते में ई.पी.ओ. के माध्यम से करेगा। यह राशि उसके पास स्थायी अग्रिम के रूप में रहेगी।
5. पंचायत सचिव उक्त राशि का व्यय श्रम विभाग के ज्ञाप क्रमांक 589 दिनांक 29.05.2018 के निर्देशों के बिन्दु 5.6 एवं 5.7 अनुसार कर राशि का समायोजन श्रम विभाग के "मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना अंतर्गत अन्त्येष्टि सहायता" पोर्टल पर करेगा।
6. वेब सर्विस के माध्यम से उपयोग की गई राशि की जानकारी पंच-परमेश्वर पोर्टल के डेशबोर्ड पर ग्राम पंचायत/ जनपद एवं जिला पंचायत वार प्रदर्शित हो जायेगी।
7. वर्तमान में अन्त्येष्टि सहायता अन्तर्गत श्रम विभाग द्वारा रू. 10,000/- प्रति ग्राम पंचायत के मान से राशि श्रमायुक्त के आदेश क्रमांक 410/2018 दिनांक 15 जून 2018 द्वारा जिलो को विविध खातो में अंतरित की गई है तथा उक्त राशि को संबंधित ग्राम पंचायतों को जारी करने के निर्देश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक 330/पंचा/पं.प-3/2018 दिनांक 23.06.2018 द्वारा जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायतों को दिये गये है। भविष्य में राशि श्रम विभाग द्वारा बिन्दु क्रमांक (ख) 1 में दी गई प्रक्रिया अनुसार सीधे ग्राम पंचायत के एकल खाते में अंतरित की जायेगी।

कृपया उक्त निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

(इकबाल सिंह बैंस)
अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्रमांक /375/पं.रा./2018/ भोपाल, दिनांक 08/08/2018

प्रतिलिपि :-

निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1 प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग मंत्रालय।

2 संभागीय आयुक्त, संभाग-समस्त, मध्यप्रदेश।

3 श्रम आयुक्त, इन्दौर, मध्यप्रदेश।

4 संचालक, पंचायत राज संचालनालय।

5 सचिव, मध्यप्रदेश असंगठित श्रमिक कल्याण बोर्ड।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग